



2026:AHC:67722

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 5284 वर्ष 2026

विकास सोनकर आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: शैलेंद्र कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 64

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा

1. कार्यालय की 16.03.2026 की रिपोर्ट के अनुसार, सेवा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2. अपर शासकीय अधिवक्ता निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत करता है कि वर्तमान आवेदन का नोटिस 12.02.2026 को सूचनाकर्ता-प्रतिपक्षी संख्या-2 और बाल कल्याण समिति, वाराणसी- प्रतिपक्षी संख्या-4 को दिया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्राप्त समर्थन अभिलेखों पर लिया जाता है। हालांकि, उक्त विरोधी पक्षों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है और न ही उनकी ओर से कोई जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी के लिए श्री वी.पी. कुमार को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
4. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन केस अपराध संख्या-443 वर्ष 2025 में धारा 65(1), 87, 137(2), 127(3), 115(2), 352, 351(3), 64(2)(एम) बी.एन.एस. और 3/4(2), 5एल/6 पॉक्सो एक्ट, थाना शिवपुर, जिला वाराणसी के तहत ज़मानत पर आवेदक को ज़मानत पर बढ़ाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। घटना 15.09.2025 को होने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 18.09.2025 को दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पीड़िता बालिग है। पीड़िता के माता-पिता द्वारा उसे जीवन में लाभ देने के लिए स्कूल के अभिलेखों में गलत तरीके से दर्ज कराया गया था। स्कूल के अभिलेखों में पीड़िता की उम्र से संबंधित प्रविष्टि का कोई वैध आधार नहीं है, जिसमें उसकी उम्र का खुलासा किया गया है और की गई प्रविष्टियां अविश्वसनीय हैं। पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में कहा है कि वह स्वेच्छा से अपना घर छोड़ गई थी और आवेदक के साथ रह रही थी। वह आवेदक से शादी करना चाहती है। आवेदक के खिलाफ किसी भी तरह के जबरन हमले का कोई आरोप नहीं है। हालाँकि, पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में एक विपरीत संस्करण कहा है। यह तर्क दिया गया है कि धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़िता के बयानों में विसंगतियां इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम करती हैं। पीड़िता बिना किसी विरोध या अलार्म के आठ दिनों तक आवेदक के साथ रही। पीड़िता के आचरण से पता चलता है कि वह एक सहमति देने वाली पार्टी थी। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। आवेदक 23.09.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन अभिलेखों से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक ढंग से विरोध नहीं कर सका।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देर से दर्ज की गई है। धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक छह महीने से अधिक समय तक कैद में है और आरोप पत्र जमा करने के बाद मुकदमे के शीघ्र समापन की कोई उम्मीद नहीं है, और राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं



लाई गई है कि आवेदक, यदि ज़मानत पर बढ़ाया जाता है, तो या तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा या मुकदमे में देरी करेगा या गवाह को डराएगा, इसलिए, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर विस्तार करने का हकदार है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- विकास सोनकर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, जो कि वह:

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तारीख को पेश होगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)